अध्याय 5

डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन

5.1 प्रस्तावना

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की 1965 में स्थापना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) को नीतिगत तथा समग्र दिशानिर्देश देने तथा सीपीएसईज के निष्पादन के निरन्तर मूल्याँकन को सुगम बनाने वाली केन्द्रीकृत समन्वय इकाई के रूप में काम करने के लिए की गई थी। मई, 1990 में बीपीई को अलग से एक पूरे विभाग का दर्जा प्रदान किया गया तथा अब इसे भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है।

सीपीएसईज को दिशानिर्देश/निदेश जारी करने में डीपीई की भूमिका

- निर्देशों/अनुदेशों को प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ-साथ अध्यक्षीय निदेशों के माध्यम से सीपीएसईज को जारी किया जाता है।
- **अध्यक्षीय निदेश** प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा सम्बद्ध सीपीएसईज को परिस्थितिवश आवश्यक होने पर जारी किए जाते हैं तथा अनिवार्य प्रवृति के होते हैं। एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से ये निदेश किसी एक सीपीएसई से सम्बन्धित होने पर डीपीई के परामर्श तथा यदि ये एक से अधिक सीपीएसई पर लागू हों तो डीपीई की सहमति से जारी करने होते हैं।
- **दिशानिर्देश** प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जारी किए जा सकते हैं जैसा भी मामला हो, तथा ये परामर्श प्रवृति के होते हैं। सीपीएसईज के निदेशक मंडल के पास इन दिशानिर्देशों को लिखित में कारण देकर न अपनाने का स्वयं निर्णय करने का अधिकार होता है। इस विषय पर कारण बताते हुए बोर्ड के संकल्प डीपीई के साथ-साथ सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालय दोनों को अग्रेषित करने होते हैं।

5.2 डीपीई दिशानिर्देशों का अननुपालन

डीपीई, निष्पादन सुधार तथा मूल्यांकन, वित्तीय प्रबन्धन, कार्मिक प्रबन्धन, बोर्ड संरचना, मजदूरी निपटान, प्रशिक्षण, औद्योगिक सम्बन्ध, सतर्कता, निष्पादन मूल्यांकन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सीपीएसईज़ से सम्बन्धित नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है।

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहाँ सीपीएसईज ने डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। वर्ष 2012-13 की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 8 में डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले 2 सीपीएसइज़ वाले 2 लेखापरीक्षा पैराग्राफ छापे गए थे। उनका संक्षेप में वर्णन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्रमांक	विषय क्षेत्र	संख्या			(₹ करोड़ में)		उन मामलों की संख्या जिनमें उल्लंघन जारी है	(₹ करोड़ में) बाद में किया गया अनियमित भुगतान
		लेखापरीक्षा पैराग्राफ	सीपीएसईज	मामले	मौद्रिक मूल्य	अनियमित भुगतान की वसूली		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	निष्पादन संबंधी वेतन का अधिक भुगतान	1	1	1	43.18	Nil	1	95.60
2	कर्मचारियों को दी गई अनियमित आर्थिक सहायता की वसूली न करना	1	1	1	3.05	2.43	Nil	Nil
जोड़		**2**	**2**	**2**	**46.23**	**2.43**	**1**	**95.60**

5.3 अननुपालन पर "की गई कार्यवाही" की स्थिति

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली के लिए सीपीएसईज़ द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई और भविष्य में अनुपालन हेतु जारी किए गए निदेशों और अधिक महत्वपूर्ण अनियमित भुगतान की वसूली को सुनिश्चित करने और लेखापरीक्षा मामलों पर सीपीएसईज द्वारा की गई औपचारिक कार्यवाई में डीपीई द्वारा की गई भूमिका की समीक्षा की गई जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

5.3.1 निष्पादन संबंधी वेतन, पर अतिरिक्त भुगतान

निष्पादन संबंधी वेतन की संगणना के लिए प्रोफिट बिफोर टैक्स (पीबीटी) के घटकों पर स्पष्टीकरण देते समय डीपीई ने सिफारिश की (नवम्बर 2010) कि 'सीपीएसई के लाभ विशेष उद्देश्य एवं प्रमुख गतिविधियों से प्राप्त होने की आशा है और यह कि स्टॉक के मूल्यांकन, सरकार द्वारा माफ किए गए अनुदान और भूमि की ब्रिक्री आदि (मदों की सूची व्यापक नहीं है) जैसी अतिरिक्त असाधारण मदों को जहां तक कि निष्पादन संबंधी वेतन का संबंध है, पीबीटी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा'। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक सीपीएसई ने इस सिफारिश का उल्लंघन किया था और निष्पादन संबंधी वेतन के लिए ₹ 43.18 करोड़ राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था।

आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान की वसूली नहीं की और ₹ 95.60 करोड़ का अनुवर्ती अनियमित भुगतान किया।

5.3.2 कर्मचारियों को दी गई अनियमित आर्थिक सहायता की वसूली न करना

नवम्बर 2008* में जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से बताया गया कि 'कैफेटेरिया एप्रोच' 'के कार्यान्वयन के साथ विद्युत, कैन्टीन/भोजन कूपन आदि के प्रति दी गई सभी आर्थिक सहायता कार्यकारियों के मामले में वापिस ले ली जाए'। लेखापरीक्षा ने पाया कि एक सीपीएसई द्वारा इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था और ₹ 3.05 करोड़ की राशि का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था। तथापि सीपीएसई ने जुलाई 2013 तक ₹ 2.43 करोड़ की राशि की वसूली की और अनियमित भुगतान को भी रोक दिया।

5.4 डीपीई की निरीक्षण भूमिका

सीपीएसईज के मामलों की नोडल एजेन्सी होने के कारण डीपीई से सीपीएसईज के बोर्डों द्वारा अपने दिशानिर्देशों को अंगीकार करने की निगरानी तथा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी की भी आशा की जाती है।

हांलाकि डीपीई के दिशानिर्देश परामर्श प्रवृत्ति के होते हैं फिर भी अच्छे निगम सुशासन के लिए डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए प्रशासकीय मंत्रालयों तथा सीपीएसईज द्वारा जबावदेही निर्धारित करने के लिए एक समुचित तंत्र होना चाहिए।

डीपीई के इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संस्थागत प्रबंधन की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि:

- **यह जानने के लिए कि कौन सी सीपीएसईज के बोर्ड ने उसके दिशानिर्देशों को अपनाया है डीपीई ने कोई डाटा बेस नहीं बनाया था।**
- **डीपीई के पास उसके दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।**
- **डीपीई ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए सीपीएसईज को नहीं लिखा था।**

संक्षेप में, सीपीएसईज द्वारा अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीपीई की भूमिका प्रभावी नहीं थी।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2012) कि जिस मंत्रालय के अधीन सम्बद्ध सीपीएसईज थे उस प्रशासकीय मंत्रालय के वार्षिक परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) में "डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन " को एक अनिवार्य उद्देश्य के रूप में शामिल करवाने के लिए वे केबिनेट सचिवालय (सचिव, निष्पादन प्रबन्धन) को प्रस्ताव भेज रहे थे।

5.5 उद्योग पर स्थाई संसदीय समिति के निदेश

उद्योग पर विभाग सम्बन्धित स्थाई संसदीय समिति ने 19-4-2010 को संसद के समक्ष प्रस्तुत अपनी 216वीं रिर्पोट में सिफारिश की थी कि "सीपीएसईज़ द्वारा कार्यान्वित नीतियों और दिशानिर्देशों को प्राप्त करने में सार्थक और प्रभावी भूमिका निभाने के लिए डीपीई को समय-समय पर इसके द्वारा निरूपित नीतियों

* डीपीई ओएम स. 2(70)/80-डीपीई (डब्ल्यूसी)

और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में सीपीएसईज़ से अनुपालन रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहिए तथा इन पर डीपीई के वार्षिक प्रतिवेदन में अलग से पैराग्राफ शामिल किया जाना चाहिए"।

तदनुसार, जुलाई 2010 तथा जून 2011 में डीपीई ने प्रशासकीय मंत्रालयों को हर वर्ष जून तक सीपीएसईज द्वारा उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी रिर्पोट भेजने का अनुरोध किया। डीपीई ने 5 के अनिवार्य भार के साथ 2012-13 के एमओयूज़ के एक मानदण्ड के रूप में अपने कुछ दिशानिर्देशों का अनुपालन शुरू किया। तथापि 2013-14 के एमओयू के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुपालन आवश्यक मापदण्ड नहीं होगा, परन्तु अननुपालन की डिग्री/गंभीरता को देखते हुए टास्क फोर्स को 5 तक नकारात्मक अंक की शास्ति लगाने की छूट होगी।

5.6 सिफारिशें

- **डीपीई को बेहतर निगमित सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रबन्ध करने चाहिएं।**
- **लेखापरीक्षा में बताए गए अननुपालन के विषयों पर, डीपीई/ प्रशासनिक मंत्रालयों को समय पर उपचारी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।**